न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्याः–41 / 2006 (223 आर.टी.एक्ट)

जी.सी.एम.एस .संख्याः–2002 / 00001

उनवान

1. पोखर पुत्र बदरी जाति गुर्जर निवासी बनजारी तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।

...अपीलांट।

बनाम

1. भागचन्द
2. राजू
   पिसरान देवकरण जाति गुर्जर निवासी बनजारी तहसील चौथ का बरवाडा।
3. सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा।

...रेस्पोडेन्टस्।

उपस्थितः–

1. श्री दिनेश गोयल अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री सी0 एस0 गुर्जर अधिवक्ता रेस्पो संख्या 01 ।
3. श्री पैराकार सरकार
4. रेस्पो संख्या 02 की तरफ से कोई उपस्थित नही।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 01.03.2023

1. यह अपील मातहत अदालत सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर में दायर वाद पत्र संख्या 59 / 01 बउनवान पोखर बनाम भागचन्द वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2002 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र मातहत अदालत सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर के समक्ष बाबत् दावा उद्घोषणा संयुक्त खातेदारी एवं तकासमा इस आशय का पेश किया कि ग्राम बनजारी तहसील चौथ का बरवाडा में पक्षकार आपस में काका के पुत्र होने से भाई लगते है तथा वंशावली के अनुसार हीरा,

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

रामरतन बजरंगा और बालू सगे भाई थे, जिनकी खातेदारी में लगभग 40 बीघा 4 बिस्वा भुमि थी, जिसमें वादी आराजी खसरा नंबर 365 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा , खसरा नंबर 376 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 377 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा वादी के पितामह के समय से ही काबिज होकर काश्त करते चला आ रहा है, तथा शेष भुमि भागचन्द व राजू पिसरान देवकरण के कब्जे मे चली आ रही है किन्तु सहवन से खातेदारी प्रतिवादीगण के पिता देवकरण के नाम लग गई थी, जिसकी मृत्यु के उपरान्त प्रतिवादीगण के नाम चली आ रही है, इस कारण से वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद पत्र पेश कर आराजीयात का विधिवत पूर्वक कुल आराजीयात का बंटवारा कर वादी की खातेदारी मे लगाई जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद करने का अनुतोष भी चाहा गया। मातहत अदालत ने दिनांक 29.07.02 को निर्णय व डिक्री पारित करते हुए वादी का वाद पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

3. अपील मीमों मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मातहत अदालत मे अपीलांट की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में प्रदर्श 1 नकल रजिस्टर चकबन्दी संवत् 1992–2001 में खाता संख्या 143 तथा खाता संख्या 144 इसी प्रकार रजिस्टर चकबन्दी संवत् 1992 लगायत 2001 के खाता संख्या 145 में अपीलांट के बाबा हीरा के नाम दर्ज थी, जो प्रदर्श 2 थी, इसी प्रकार रजिस्टर चकबन्दी संवत् 1992–2001 के खाता संख्या 146 मे भी अपीलांट के बाबा हीरा के नाम खातेदारी दर्ज थी। चकबन्दी संवत् 1992–2001 के खाता संख्या 12 किशन लाल बाबा के नाम दर्ज है। किन्तु संवत् 2043–46 में पूर्वजो की सारी भूमि प्रतिवादी भागचन्द के नाम दर्ज थी, जो प्रदर्श 5 व 6 है जबकि उक्त भूमि पर 1/2 हिस्सा अपीलांट वादी का था, जिसका भी अदालत मातहत ने साक्ष्य पर किसी भी प्रकार का विवेचन नही किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2002 अपास्त फरमाया जावें।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजीयात अपीलांटगण की पैतृक संपत्ति है। अपीलांट के पास 20 बीघा 2 बिस्वा भुमि कब्जे में है, बाकि भुमि 20 बीघा 2 बिस्वा भुमि प्रतिवादीगण के हिस्से व कब्जे में है। इसलिए अपीलांट वादी तथा रेस्पोडेन्ट नंबर 01 व 02 प्रतिवादी पूर्वजो की भुमि में आधा–आधा अधिकार रखते है। जिनको रेवेन्यु रिकार्ड में पृथक पृथक कर कब्जे के अनुसार तकासमा किया जाना व रेस्पोडेन्ट को पाबन्द

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

किया जाना था, जिसको न्यायालय ने नजरअन्दाज किया और वादी का दावा खारिज करने मे अहम भुल की है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावें। मातहत अदालत का निर्णय व डिकी खारिज फरमाई जावें।

6. उभयपक्षो की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

7. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर आया कि विवादित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2043 वाके ग्राम बंजारी मे स्थित खसरा नंबर 645 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 294 रकबा 01 बीघा, खसरा नंबर 295 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 328 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, 365 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा, 372 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 376 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, 377 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 40 बीघा 4 बिस्वा भागचन्द, राजू पिसरान देवकरण गूजर के नाम दर्ज रिकार्ड है।

जमाबंदी संवत् 1993–2001 के अनुसार खसरा नंबर 222/5, 284, 340, 404/2, 405, 404/1 कुल किता 4 कुल रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा हीरा वल्द नंदा कोम गूजर के नाम दर्ज रिकार्ड है।

8. पक्षकारान का सजरा निम्नानुसार हैः–

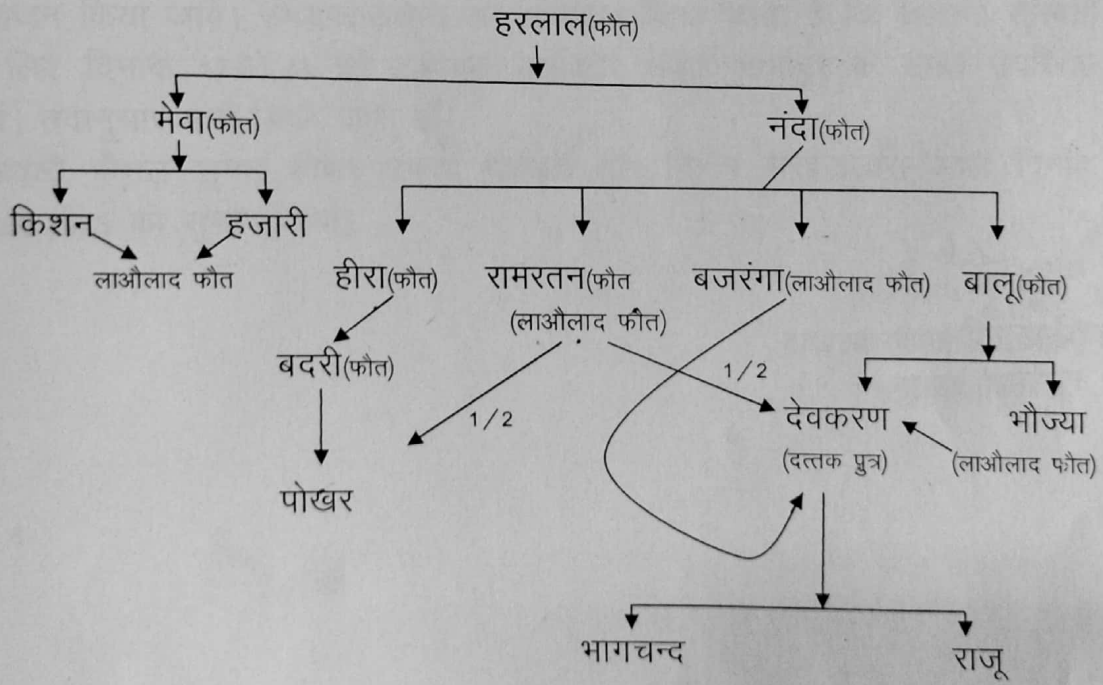

इस प्रकार पैदाकर्ता हरलाल के 53 बीघा 16 बिस्वा में से 1/4 हिस्सा हीरा पौत्र पोखर के विधिक रूप से रिकार्ड खातेदार है। अपीलांट का बालू के हिस्से में कोई हक नही बनना पाया जाता है क्योकि भौज्या की विरासत उसके भाई देवकरण मे संन्निहित

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

हो गई व देवकरण दत्तक पुत्र बजरंगा होने से बजरंगा की विरासत का देवकरण हकदार है। रामरतन पुत्र नंदा लाऔलाद फौत होने के कारण उसके 1/2 हिस्सा जो 06 बीघा 16 बिस्वा हीरा के पौत्र अपीलांट/वादी के खाते मे विधिक रूप से दर्ज होना चाहिए था, परन्तु वह रेस्पो0 के हिस्से दर्ज हो गया है।

9. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाए जाने से इस हद तक स्वीकार की जाती है कि अपीलांट को विवादित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2043 वाके ग्राम बंजारी मे स्थित खसरा नंबर 645 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 294 रकबा 01 बीघा, खसरा नंबर 295 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 328 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, 365 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा, 372 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 376 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, 377 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 40 बीघा 4 में से रामरतन पुत्र नंदा के हिस्से की आराजी का 1/2 हिस्सा 06 बीघा 16 बिस्वा आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। अदालत मातहत सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर के मुकदमा नंबर 59/01 बउनवान पोखर बनाम भागचन्द वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2002 को अपास्त किया जाकर पत्रावली इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि उभयपक्षकारान के मध्य विवादित आराजीयात का "मीट्स–एण्ड–बाउण्डस्" के आधार पर पुनः नए सिरे से विभाजन किया जावें। उभयपक्षकारान को आदेशित किया जाता है कि आगामी सुनवाई के लिए दिनांक 17.03.23 को सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर के समक्ष उपस्थित होवें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हों।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 01.03.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीना) 01.03.23
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

डिक्री अपील

(ओ.41, रूल 35 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :–बइजलास श्री हरिराम मीना आर. ए. एस. राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

उनवान

1. पोखर पुत्र बदरी जाति गुर्जर निवासी बनजारी तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।

...अपीलांट।

बनाम

1. भागचन्द
2. राजू

   पिसरान देवकरण जाति गुर्जर निवासी बनजारी तहसील चौथ का बरवाडा।
3. सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा।

...रेस्पोडेन्टस्।

अपील संख्याः 41/2006 **(धारा 223 आर.टी.एक्ट)**

जी.सी.एम.एस संख्या :2021/84 **दिनांक 01.03..2023**

अपील विरूद्व आज्ञाः सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर

यह अपील व तारीख 01.03..2023 रूबरू हमारे व हाजरी श्री दिनेश गोयल अधिवक्ता अपीलांट व हाजरी श्री सी0 एस0 गुर्जर एड. मिनजानिब रेस्पो. समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपीलांट को विवादित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2043 वाके ग्राम बंजारी मे स्थित खसरा नंबर 645 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 294 रकबा 01 बीघा, खसरा नंबर 295 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 328 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, 365 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा, 372 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 376 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, 377 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 40 बीघा 4 में से रामरतन पुत्र नंदा के हिस्से की आराजी का 1/2 हिस्सा 06 बीघा 16 बिस्वा आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। अदालत मातहत सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर के मुकदमा नंबर 59/01 बउनवान पोखर बनाम भागचन्द वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2002 को अपास्त किया जाकर पत्रावली इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि उभयपक्षकारान के मध्य विवादित आराजीयात का "मीट्स–एण्ड–बाउण्डस्" के आधार पर पुनः नए सिरे से विभाजन किया जावें। उभयपक्षकारान को आदेशित किया जाता है कि आगामी सुनवाई के लिए दिनांक 17.03.23 को सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर के समक्ष उपस्थित होवें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 01.03.2023 को जारी किया गया।

मुहर

01.03.23

हस्ताक्षर अधिकारी व मुहर

राजस्व अपील प्राधिकारी

सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner